प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

19 नवंबर 2026

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति' शीर्षक से अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। इस संस्कारण का थीम है- 'ग्रामीण भारत में स्थानीय वित्त और क्षमता संवर्धन'। यह रिपोर्ट 2022-23 से 2024-25 तक 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के संतुलित आँकड़ों का उपयोग करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत तथा समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण करती है।

मुख्य बातें:

- 2022-23 और 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है; हालाँकि, वे अभी भी सरकारों के बीच होने वाले अंतरण पर निर्भर हैं, जिनका उनकी कुल प्राप्तियों में लगभग 90 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वहीं, उनके अपने स्रोतों से होने वाली आय (ओएसआर), जिसमें मुख्य रूप से ब्याज से मिलने वाली आय, पंचायती राज कार्यक्रमों के लिए फंड और उपयोगकर्ता प्रभार जैसी गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं, की हिस्सेदारी केवल 10 प्रतिशत के आसपास है।
- व्यय के रुझान मुख्य रूप से पंद्रहवें वित्त आयोग के अधिदेशों और राष्ट्रीय योजनाओं/ मिशन के साथ एकीकरण को दर्शाते हैं, जिसमें कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 40 प्रतिशत) जल आपूर्ति और स्वच्छता का था।
- ग्रामीण कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण, जलापूर्ति, स्वच्छता और सामुदायिक आस्तियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन सुविधाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और कार्यक्षमता के मामले में राज्यों के बीच अभी भी असमानताएँ बनी हुई हैं।
- चूंकि कुछ बड़ी ग्राम पंचायतें छोटे शहरी स्थानीय निकायों या नगर पंचायतों में परिवर्तित हो रही हैं, इसलिए वित्तीय और प्रशासनिक तैयारियों की तुलना में उनकी कार्य-जिम्मेदारियां अधिक तेजी से बढ़ सकती हैं। इसके लिए संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता और प्रशासनिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी, साथ ही बेहतर संग्रह दक्षता तथा संपत्ति कर और लाइसेंस शुल्क के युक्तिकरण के माध्यम से अपने राजस्व (ओएसआर) को क्रमिक रूप से मजबूत करने की भी जरूरत होगी।

यह रिपोर्ट आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के 'स्थानीय वित्त प्रभाग' द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का वर्तमान संस्करण, और साथ ही पिछला संस्करण भी, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। रिपोर्ट की विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक सामग्री को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियाँ आप निम्नलिखित पते पर, निदेशक, स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, अमर भवन (छठी मंजिल), भारतीय रिज़र्व बैंक, सर फिरोजशाह मेहता रोड, मुंबई – 400 001; या फिर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1524